2095/2019/Sl-Coord
2/12/19

भारत सरकार
महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
(गृह मंत्रालय)

ब्लाक न0 13, के0 का0 परिसर
लोधी रोड, नईदिल्ली– 110003

पत्रांक:ई–32019(1)/भर्ती/खेल/2019/5561

दिनांक : 19 नवम्बर, 2019

M/o Youth Affairs & Sports, Government of India, New Delhi
C.R.
Dy. No. ......0518...... 26/11

सेवा में,

Department of Sports,
Shastri Bhawan,
Dr. Rajendra Prasad Road,
New Delhi-110 001.
(secty-sports@nic.in)

Subject : RECRUITMENT OF SPORTSMEN AND WOMEN IN CISF AGAINST SPORTS QUOTA -2019.

Sir,

I am directed to forward a copy of notification published in the Employment News on **16-22.11.2019** for the post of Head Constable/GD in the Central Industrial Security Force (CISF) under Sports Quota-2019 for wide publicity amongst the eligible candidates. Further, it is requested to publish this notification in the website of Department of Sports so that the eligible sports person can apply this recruitment please.

2. The closing date for receiving of applications through post is **17.12.2019** and in case of residents of North East Region by **24.12.2019**.

3. It is also mentioned that the said notification is also available in the Employment News, Rozgar Samachar and CISF web site https://cisfrectt.in.

सलग्न: यथोपरोक्त

Yours sincerely

(अनिल किशोर) 19/11/19
सहायक महानिरीक्षक/भर्ती

Copy to :

The Deputy Director (Coaching), Jawahar Lal Nehru Stadium Complex, Gate No. 10 (East Gate), Lodhi Road, New Delhi - 110003.	:	For information along with a copy of the Notification. It is requested that the said Notification may please be given wide publicity amongst the eligible candidates with advise to submit their applications through post by **17.12.2019** and in case of residents of North East Region by **24.12.2019**.

Pl. upload on DOS's website
28/11

SO(dn)/Neeraj

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
(गृह मंत्रालय)

अंतिम तिथि : 17.12.2019 1700 बजे तक
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतिम तिथि 24.12.2019 1700 बजे तक

केऔसुब में खेल कोटे के अंतर्गत पुरूष तथा महिला खिलाड़ियों की भर्ती

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में वर्ष 2019 के लिए खेल कोटे के अंतर्गत प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) की 300 रिक्तियों को भरने के लिए भारतीय पुरूष/महिला नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते है। रिक्तियों के खेलवार ब्यौरे निम्नानुसार है :-

क.सं.	खेल/विशिष्टता	पुरूष रिक्ति		महिला रिक्ति	
		स्पर्धा/स्थिति/भार श्रेणी		स्पर्धा/स्थिति/भार श्रेणी	
1.	एथलेटिक	800 मीटर	01	800 मीटर	02
		1500 मीटर	03	1500 मीटर	03
		5000 मीटर	03	5000 मीटर	03
		10000 मीटर	03	10000 मीटर	03
		3000 एससी	02	3000 एससी	02
		मैराथन	03	मैराथन	03
		पैदल	02	पैदल	02
		200 मीटर	01	100 मीटर	01
		400 मीटर	02	200 मीटर	01
		110 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल)	02	400 मीटर	01
		400 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल)	03	100 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल)	03
		डेकाथलॉन	03	400 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल)	02
		लंबी कूद	02	हेप्टाथलॉन	03
		ऊंची कूद	03	लंबी कूद	03
		पोल वॉल्ट	02	ऊंची कूद	03
		ट्रिपल जंप	03	पोल वॉल्ट	02
		गोला फेंक (शॉट पुट)	03	ट्रिपल जंप	02
		भाला फेंक (जेवलिन थ्रो)	01	गोला फेंक (शॉट पुट)	02
		हथौड़ा फेंक (हम्मर थ्रो)	02	चक्का फेंक (डिस्कस् थ्रो)	02
				भाला फेंक (जेवलिन थ्रो)	02
				हथौड़ा फेंक (हम्मर थ्रो)	02
2.	बॉक्सिंग	49 किग्रा	01	64 किग्रा	01
		52 किग्रा	01	75 किग्रा	01
		69 किग्रा	01	81 किग्रा	01
		75 किग्रा	01	81 किग्रा से अधिक	01
		81 किग्रा	01		
		91 किग्रा	01		
		91 किग्रा से अधिक	01		
3.	बास्केट बॉल	बास्केट बॉल	08		
4.	जिम्नास्टिक	जिम्नास्टिक	04		
5.	फुटबॉल	फुटबॉल	06		
6.	हॉकी	हॉकी	12		
7.	हैंडबॉल	हैंडबॉल	09		

8.	जूडो	60 किग्रा	01	48 किग्रा	01
		66 किग्रा	01	52 किग्रा	02
		73 किग्रा	01	70 किग्रा	01
		81 किग्रा	02	78 किग्रा	01
		90 किग्रा	02	78 किग्रा से अधिक	02
		100 किग्रा	02		
		100 किग्रा से अधिक	01		
9.	कबड्डी	कबड्डी	08	कबड्डी	12
10.	शूटिंग	राईफल	16	राईफल	03
		पिस्टल	07	पिस्टल	06
11.	तैराकी	1 मी. (स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग)	02		
		3 मी. (स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग)	02		
		10 मी., (हाई बोर्ड डाइविंग)	02		
		50 मी., 100 मी., 200 मी. (फ्री स्टाईल)	02		
		50 मी., 100 मी., 200 मी. (बैक स्ट्रोक)	02		
		50 मी., 100 मी., 200 मी. (बटरफ्लाई)	02		
		400 मी., 800 मी., 1500 मी. (फ्री स्टाईल)	01		
		200 मी., 400 मी. (व्यक्तिगत मिश्रित)	01		
12.	बालीबॉल	बालीबॉल	08		
13.	भारोत्तोलन	55 किग्रा	02	45 किग्रा	02
		61 किग्रा	01	49 किग्रा	02
		67 किग्रा	02	55 किग्रा	01
		73 किग्रा	01	59 किग्रा	01
		81 किग्रा	02	64 किग्रा	01
		89 किग्रा	01	71 किग्रा	01
		96 किग्रा	02	76 किग्रा	02
		102 किग्रा	02	81 किग्रा	02
		109 किग्रा	02	87 किग्रा	01
		109 किग्रा से अधिक	02	87 किग्रा से अधिक	02
14.	कुश्ती	57 किग्रा (फ्री स्टाइल)	02		
		61 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01		
		74 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01		
		79 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01		
		86 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01		
		92 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01		
		97 किग्रा (फ्री स्टाइल)	02		
		125 किग्रा (फ्री स्टाइल)	02		
		55 किग्रा (ग्रीको रोमन)	02		
		60 किग्रा (ग्रीको रोमन)	01		
		80 किग्रा (ग्रीको रोमन)	01		
		87 किग्रा (ग्रीको रोमन)	02		
		97 किग्रा (ग्रीको रोमन)	01		
		130 किग्रा (ग्रीको रोमन)	02		
15.	ताईक्वांडो	54 किग्रा	02		
		58 किग्रा	02		
		63 किग्रा	02		
		68 किग्रा	02		
		74 किग्रा	02		
		80 किग्रा	02		
		87 किग्रा	02		
		87 किग्रा से अधिक	02		

नोटः–

(i) उपरोक्त दर्शाई गई प्रत्येक स्पर्धा में रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और किसी भी चरण में परिवर्तित हो सकती है। परिवर्तन संबंधी सूचना यदि कोई है तो उसे सीआईएसएफ भर्ती वेबसाईट https://www.cisfrectt.in पर अपलोड कर दिया जाएगा।

(ii) निर्धारित आरक्षण के अनुसार अजा/अजजा तथा अपिव के लिए आरक्षित रिक्तियॉ पद आधारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार की जाएंगी।

02.	<u>वेतनमान एवं अन्य भत्ते</u>:
	प्रधान आरक्षक (जीडी) – पे मेट्रिक्स स्तर–4, रू. 25,500 से 81,100/– के साथ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय–समय पर यथा स्वीकार्य सामान्य भत्ते।
03.	सभी चयनित अभ्यर्थी 01.01.2004 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को प्रदान की जा रही नई पुनर्गठित परिभाषित योगदान पेंशन योजना (राश्ट्रीय पेंशन प्रणाली) द्वारा अधिशासित होंगे।
04.	**<u>अधिवास स्थिति</u>** :– अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।
05.	<u>पात्रता</u> :– केवल वे अभ्यर्थी जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे वे ही इन रिक्तियों के अधीन भर्ती के पात्र होंगे।
क.	<u>आयु</u> :– 01.08.2019 को 18 से 23 वर्ष के बीच। (अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1996 से पहले और 01.08.2001 के बाद का नहीं होना चाहिए।) **छूट** – अजा/अजजा के अभ्यर्थियों के लिए 05 वर्ष तक की छूट तथा अपिव के अभ्यर्थियों के लिए 03 वर्ष तक की छूट (01.08.2019 को विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक की छूट)
ख.	**<u>शैक्षणिक अर्हता</u>**: – खेलों, खेलकूद और एथेलेटिक्स में राज्य/राष्ट्रीय/अतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व के साथ एक मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 12वीं पास।
ग.	**शारीरिक मानकः–**

i) कद एवं छाती	पुरूष		महिला	
	कद सेमी में	छाती सेमी में	कद सेमी में	छाती सेमी में
सभी अभ्यर्थियों के लिए	167	81–86	153	लागू नहीं
पहाड़ी तथा आदिवासियों (ट्राईब्समैन) नामतः गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊंनी डोगरा, मराठा और आदिवासियों के लिए।	160	81–86	153	लागू नहीं

ii) भार :– चिकित्सा मानकों के अनुसार पुरूष तथा महिलाओं के कद तथा आयु के समानुपात।

नोट :	क) ऊपर उल्लिखित के अनुसार कद और छाती में छूट केवल सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण–पत्र के प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य होगी कि अभ्यर्थी ऊपर वर्णित समुदाय/क्षेत्र से संबंध रखता है।
घ.	**<u>चिकित्सा मानक</u> :–**
i)	अभ्यर्थियों के घुटने मुड़े हुए, समतल पैर, धनुष के आकार के पैर, भेंगापन, बाएं आंख को बंद करने में असमर्थता, अक्सर उंगलियों को मोड़ने में असमर्थता, फूली हुई नसें और कोई भी अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए।
ii)	**नेत्र दृष्टि :**
क)	दृश्य तीक्ष्णता बिना चश्में के (निकट दृष्टि) – बेहतर दृष्टि – एन 6 खराब दृष्टि – एन 9
ख)	बिना सुधार के दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि) – बेहतर दृष्टि – 6/6 खराब दृष्टि – 6/9
ग)	अपवर्तन – चश्में के साथ ही किसी भी प्रकार का दृश्यात्मक शोधन अनुमत नहीं है।
घ)	रंगदृष्टि – आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी–।।।
ड़)	दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में दायी आंख की दृष्टि बेहतर होगी और इसके विलोमतः।
च)	द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है।

iii)	गृह मंत्रालय द्वारा जारी यू.ओ. ए–VI-I/2014 भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और समय–समय पर यथा संशोधित चिकित्सा परीक्षा के लिए एकल चिकित्सा दिशा–निर्देशों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण करवाया जाएगा।	
iv)	**भार :** शारीरिक मापन के दौरान भार को रिकार्ड किया जाएगा परंतु भार के आधार पर फिटनेस पर निर्णय चिकित्सा परीक्षण के समय लिया जाएगा।	
v)	**टैटू :**	
	क) सामग्री : एक धर्म निरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना है और इस प्रकार, धार्मिक चिह्न या आंकड़े और नाम को दर्शाने वाले चिह्न भारतीय सेना में पालन किया जाना है, के अनुसार अनुमत होंगे।	
	ख) स्थान : शरीर के पारंपरिक पहलुओं जैसे कि अग्रभुजाओं के अंदरूनी हिस्सों पर अंकित टैटू, लेकिन केवल बाएं अग्रभाग, गैर सलामी अंग या हाथों के डोरसम पर होने की अनुमति है।	
	ग) आकार : शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) से 1/4 से कम होना चाहिए।	
ड.	**खेलों में प्रवीणता :–**	
	ग) खेलकूद योग्यता	**खेल कोटा के तहत प्रधान आरक्षक/जीडी पद के लिए**
	i) व्यक्तिगत स्पर्धा	i) पिछले खेलों के दौरान सीनियर/जूनियर स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा ii) पिछले खेलों के दौरान सीनियर/जूनियर स्तर पर राष्ट्रीय खेलों/चैम्पियनशिप में मेडल जीतने वाला प्रदर्शन किया हो अथवा iii) पिछले खेलों के दौरान सीनियर/जूनियर स्तर पर राष्ट्रीय खेलों/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में एक राज्य अथवा समतुल्य इकाई का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा iv) पिछले खेलों के दौरान अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में कोई पदक जीता हो अथवा v) पिछले खेलों के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय खेलों/चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक।
	ii) टीम स्पर्धा	i) पिछले खेलों के दौरान सीनियर/जूनियर स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा ii) पिछले खेलों के दौरान सीनियर/जूनियर स्तर पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कोई पदक जीता हो अथवा iii) पिछले खेलों के दौरान सीनियर/जूनियर स्तर पर राष्ट्रीय खेलों/चैम्पियनशिप में राज्य स्तरीय टीम अथवा समतुल्य इकाई का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा iv) पिछले खेलों के दौरान अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाली टीम का सदस्य हो अथवा v) पिछले खेलों के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय खेलों/चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हो **टिप्पणी –** खिलाड़ी पिछले खेलों के दौरान टीम का खेलने वाला सदस्य होना चाहिए।
नोट –	भर्ती के लिए प्रतिभावान पुरूष खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी की पात्रता पर विचार करने के लिए केवल निम्नलिखित प्राधिकारियों के व्यक्तिगत हस्ताक्षरयुक्त विनिर्दिष्ट प्रपत्र पर प्रदान किए गए प्रमाण–पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा।	

06. प्रमाण पत्र देने वाली सक्षम प्राधिकारी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

क.स.	स्पर्धा	प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी	प्रारूप
1.	अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा	संबंधित खेलों के राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव।	परिशिष्ट—'क'
2.	राष्ट्रीय स्पर्धा	संबंधित खेलों के राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव अथवा राज्य संघ का सचिव।	परिशिष्ट—'ख'
3.	अंतर—विश्व विद्यालय टूर्नामेंट	संबंधित विश्वविद्यालय के खेलों का अध्यक्ष अथवा खेलों के समग्र प्रभार वाला अन्य पदाधिकारी।	परिशिष्ट—'ग'
4.	राष्ट्रीय खेल/स्कूलों के लिए	राज्य के लोक अनुदेशों/शिक्षा निदेशालय में स्कूलों के लिए खेलों के समग्र प्रभार में खेलों में निदेशक अथवा अतिरिक्त/संयुक्त अथवा उप निदेशक।	परिशिष्ट—'घ'
5.	शारीरिक क्षमता अभियान	शिक्षण और सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में शारीरिक दक्षता के समग्र प्रभार में सचिव अथवा अधिकारी।	परिशिष्ट—'ड़'

नोट :— उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण—पत्रों के अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में वास्तविक भागीदारी और उपलब्धि के आधार पर मान्यता प्राप्त परिसंघों/संघों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को अतिरिक्त महत्व दिया जा सकता है।

सामान्य :— अलग—अलग अभ्यर्थियों के साथ—साथ टीम स्पर्धाओं को नीचे दिए गए क्रम के अनुसार प्राथमिकता प्रदान की जाएगी:—

क. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप	**ख. राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप**
1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता 2) द्वितीय रजत पदक विजेता 3) तृतीय कांस्य पदक विजेता	1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता 2) द्वितीय रजत पदक विजेता 3) तृतीय कांस्य पदक विजेता

नोट :—केवल युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ/संबंधित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा मान्यता प्राप्त टूर्नामेंटों पर विचार किया जाएगा।

07. चयन प्रकिया :— वे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें निम्नलिखित चयन प्रकिया से गुजरना पड़ेगा।

क) खेल कूद स्पर्धाओं में परीक्षण परीक्षा	ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं उनका उन खेलकूद स्पर्धाओं में जांच परीक्षण किया जाएगा जिससे वे संबंधित हैं। यह परीक्षण परीक्षा अर्हक होगी। यह संगठन अभ्यर्थियों को जांच/परीक्षण के दौरान हुई किसी दुर्घटना/चोट के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा
ख) दक्षता परीक्षा	ऐसे अभ्यर्थी जो जांच परीक्षण में सफल हो जाते हैं उनका 40 अंकों का दक्षता परीक्षण किया जाएगा। सभी प्रतियोगिताओं/खेलकूद के लिए दक्षता परीक्षण के लिए न्यूनतम कट—ऑफ अंक 20 होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हक अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें निरस्त पर्ची दी जाएगी। संबंधित खेलकूद प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्रमाण—पत्र/उपलब्धि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 10 में से अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे।
ग) अंतिम चयन	अभ्यर्थियों का अंतिम चयन दक्षता परीक्षण के दौरान उनके निशपादन को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाएगा और पिछले सत्र के दौरान अभ्यर्थियों की संबंधित खेलकूद स्पर्धाओं में उपलब्धि/निष्पादन के आधार पर किया जाएगा।
घ) चिकित्सीय जांच	अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सीय रूप से जांच की जाएगी और केऔसुब में उनकी नियुक्ति समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार चिकित्सीय जांच में उनकी फिटनेस के आधार पर की जाएगी।

08.	**आवेदन कैसे करें :**
	कॉलम 1 में नीचे उल्लिखित स्पर्धाओं के लिए आवेदनों को कॉलम 2 में प्रत्येक के सामने उल्लिखित प्राधिकारी के पास नीचे दिए गए कॉलम 3 के तहत उल्लिखित अधिकारी के पक्ष में देय पोस्टल आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 100 रू. (एक सौ रूपए केवल) के अपेक्षित आवेदन–शुल्क के साथ और कॉलम 4 में प्रत्येक के सामने उल्लिखित डाक घरों में देय, के पास, भेजा जाएगा। अजा/अजजा और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क भरने से छूट प्राप्त है। अपेक्षित प्रपत्रों आदि के साथ यह अधिसूचना सीआईएसएफ की भर्ती वेबसाइट https://cisfrectt.in पर उपलब्ध है। केवल ऐसे उत्कृष्ट पुरूष/महिला खिलाड़ी जो उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिन्होंने 16.11.2017 को अथवा उसके पश्चात संपन्न हुए किसी टूर्नामेंट/प्रतिस्पर्धा/खेलों (यथालागू) के पिछले सत्र के दौरान चैम्पियनशिप में भाग लिया है और वे पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। तथापि, इसे आवश्यक रूप से पिछले टूर्नामेंट/प्रतिस्पर्धा/खेल का होना चाहिए। वैसे अभ्यर्थी जो उपरोक्त पैरा–7 में यथा उल्लिखित चयन प्रकिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करने के इच्छुक हैं, निम्नलिखित उप–महानिरीक्षकों/केऔसुब को परिशिष्ट–I के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में अपने आवेदन पत्र अग्रेषित कर सकते है और ये आवेदन 17.12.2019 (सायं 0500 बजे) तक पहुंच जाने चाहिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासियों के मामले में प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ 24.12.2019 (सायं 0500 बजे) तक पहुंच जाने चाहिए।

स्पर्धा	अधिकारी का नाम जिसे आवेदन पत्र भेजा जाना है।	वह अधिकारी जिसके पक्ष में आवेदन शुल्क के लिए पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट दिया जाना अपेक्षित है।	डाकघर/बैंक का नाम जहां पर पोस्टर आर्डर/बैंक ड्राफ्ट देय होगा।
(1)	(2)	(3)	(4)
एथलेटिक्स	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय भिलाई, तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट – उतई, जिला – दुर्ग, राज्य – छत्तीसगढ़ – 491107	उप कमाण्डेन्ट/डीडीओ सीआईएसएफ मध्य क्षेत्र मुख्यालय, भिलाई।	सिविक सेंटर भिलाई, पिन – 490006/ एसबीआई मुख्य शाखा सेक्टर–I, भिलाई (कोड संख्या – 0330)
बॉक्सिंग	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ (उत्तरी क्षेत्र–1) मुख्यालय, सीआईएसएफ परिसर महिपालपुर, पोस्ट– महिपालपुर, नई दिल्ली – 110037	सहायक कमाण्डेन्ट/डीडीओ सीआईएसएफ उत्तरी क्षेत्र–1 मुख्यालय महिपालपुर	जीपीओ नई दिल्ली/ एसबीआई आईसीटी कार्गो, आईजीआई हवाई अड्डा नई दिल्ली (कोड संख्या – 05941)
बास्केटबॉल	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ इकाई बीएसएल बोकारो, प्रशासनिक भवन, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो, झारखंड –827001	सहा. कमाण्डेन्ट/डीडीओ सीआईएसएफ इकाई बीएसएल बोकारो	बोकारो प्रधान डाकघर, बोकारो स्टील सिटी/ एसबीआई प्रशासनिक भवन बोकारो (कोड संख्या – 03240)
जिमनास्टिक	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ इकाई एसएसजी ग्रेटर नोएडा पोस्ट–सूरजपुर जिला : गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201300	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ इकाई एसएसजी ग्रेटर नोएडा	जीपीओ नई दिल्ली/एसबीआई सुरजपुर, (कोड संख्या – 05312)
फुटबॉल	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ इकाई डीएमआरसी दिल्ली शास्त्री पार्क, पोस्ट –सीलमपुर, नई दिल्ली –110053	सहा. कमाण्डेन्ट/डीडीओ सीआईएसएफ इकाई डीएमआरसी नई दिल्ली	जीपीओ नई दिल्ली/एसबीआई आईएसबीटी कश्मीरी गेट, (कोड संख्या – 05715)

	आवेदन पत्र के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित किए हुए संलग्न किए जाने वाले संलग्नक :–	
	1.	आयु के प्रमाण के लिए दसवीं का प्रमाण पत्र।
	2.	शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के लिए सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र।
	3.	अजा, अजजा, अपिव अथवा ईडब्ल्यूएस जैसे जाति प्रमाण पत्र।
	4.	यदि अभ्यर्थी परिशिष्ट–'च' के अनुसार कद और छाती में छूट प्राप्त करना चाहते/चाहती हैं तो ऐसे पुरूष/महिला को पहाड़/आदिवासी क्षेत्र से संबंध रखने के आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
	5.	प्रतियोगिताओं/स्पर्धाओं से संबंधित खेलकूद के प्रमाण पत्र।
	6.	अभी हाल के 02 पापसपोर्ट आकार के फोटो।
	7.	उपरोक्त कॉलम 3 के तहत उल्लिखित अधिकारी के पत्र में आहरित पोस्टल आर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट और कॉलम 4 के तहत यथा उल्लिखित डाकघर में देय 100 रू. (एक सौ रूपए) का आवेदन शुल्क। अजा/अजजा और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से छूट प्राप्त है।
	<u>टिप्पणी:</u>–आवेदन पत्र को इस प्रकार प्रेषित किया जाए कि यह उपरोक्त पैरा में दर्शाए अनुसार केऔसुब से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले उप महानिरीक्षकों के पास **<u>17.12.2019</u> (समय 0500 बजे)** तक पहुंच जाए और पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासियों के मामले में यह **<u>24.12.2019</u> (समय 0500 बजे)** तक पहुंच जाए।	
	निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त/अपूर्ण/बगैर हस्ताक्षर किए हुए फोटो के बिना अथवा उपयुक्त संलग्नकों के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।	
	सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग में सेवारत व्यक्तियों को अपने मौजूदा नियोक्ता से अनुलग्नक–3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार **"अनापत्ति प्रमाण पत्र"** प्रस्तुत करना होगा।	

हॉकी	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ इकाई आरएसपी राउरकेला, सीआईएसएफ मुख्य कार्यालय बिसरा कैम्प, पोस्ट – राउरकेला, जिला – सुंदरगढ़, ओडीशा – 769001	सहा. कमाण्डेन्ट / डीडीओ सीआईएसएफ इकाई आरएसपी राउरकेला।	राउरकेला प्रधान डाकघर / एसबीआई उदितनगर (कोड संख्या – 7474)
हैंडबॉल	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ इकाई बीएसपी भिलाई, पोस्ट – सेक्टर –1, जिला – दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490001	सहायक कमाण्डेन्ट / डीडीओ सीआईएसएफ इकाई बीएसपी भिलाई,	सिविक सेंटर भिलाई, पिन – 490006 / एसबीआई भिलाई सेक्टर– I, (कोड संख्या – 000330)
जूडो	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ सीजीबीएस मुख्यालय 16 / 11, जामनगर हाउस, शाहजहां रोड नई दिल्ली – 110001	सहायक कमाण्डेन्ट / डीडीओ, सीआईएसएफ इकाई सीजीबीएस नई दिल्ली	जीपीओ नई दिल्ली / एसबीआई नांगल डेयरी (कोड संख्या – 02431)
कबड्डी	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ आरटीसी देवली, पोस्ट – देवली, जिला – टोंक, राजस्थान – 304804	सहायक कमाण्डेन्ट / डीडीओ सीआईएसएफ आरटीसी देवली	टोंक राज प्रधान डाकघर / एसबीआई देवली (कोड संख्या – 10489)
शूटिंग	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ आरटीसी बड़वाहा पोस्ट – दरिया महल जिला –खरगौन मध्य प्रदेश – 451115	सहा. कमाण्डेन्ट / डीडीओ सीआईएसएफ आरटीसी बड़वाहा	बड़वाहा डाकघर / एसबीआई महेश्वर रोड, बड़वाहा (कोड संख्या – 30029)
तैराकी	निदेशक, सीआईएसएफ, नीसा, हैदराबाद, पोस्ट – हाकिमपेट, जिला – मेडचाल मलकाजगिरी, तेलंगाना – 500078	सहा. कमाण्डेन्ट / डीडीओ सीआईएसएफ नीसा, हैदराबाद	जीपीओ हैदराबाद / एसबीआई नीसा हाकिमपेट (कोड संख्या – 021051)
वॉलीबॉल	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ इकाई डीएसपी दुर्गापुर, भिरिंगी मोड़, पोस्ट : दुर्गापुर, जिला : पश्चिम बर्दमान पश्चिम बंगाल – 713203	सहा. कमाण्डेन्ट / डीडीओ सीआईएसएफ इकाई डीएसपी दुर्गापुर	जीपीओ कोलकाता / एसबीआई दुर्गापुर (कोड संख्या – 000074)
भारोत्तोलन	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय सीआईएसएफ 5वीं आरक्षित वाहिनी गाजियाबाद, पोस्ट – शिप्रा सन सिटी, जिला – गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201014	सहायक कमाण्डेन्ट / डीडीओ, सीआईएसएफ 5वीं आरक्षित वाहिनी गाजियाबाद	प्रधान डाकघर गाजियाबाद, नवयुग मार्केट, उत्तर प्रदेश, पिन– 201001 / एसबीआई अहिंसा खंड, गाजियाबाद (कोड संख्या – 15468)
कुश्ती	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ (दक्षिण क्षेत्र) मुख्यालय, 'डी' ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसंत नगर, चेन्नई, तमिलनाडु –600090	सहायक कमाण्डेन्ट / डीडीओ, सीआईएसएफ दक्षिण क्षेत्र मुख्यालय, चेन्नई	जीपीओ चेन्नई / एसबीआई बेसंत नगर, चेन्नई (कोड संख्या – 003274)
ताईक्वांडो	उप महानिरीक्षक, सीआईएसएफ आरटीसी आरकोणम, पोस्ट – सुरक्षा परिसर, जिला –बेल्लोर, तमिलनाडु – 631152	सहायक कमाण्डेन्ट / डीडीओ सीआईएसएफ आरटीसी आराकोणम	जीपीओ चेन्नई / एसबीआई तकोलम (कोड संख्या – 14621)
उप महानिरीक्षक / प्रशिक्षण एवं क्रीड़ा बल मुख्यालय के समन्वय उप महानिरीक्षक होंगे।			

केऔसुब में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आवेदन–पत्र का प्रपत्र

अनुक्रमांक ....(आवेदन प्राप्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए

1.	आवेदित पद	:	____________	
2.	नाम (बड़े अक्षरों में)	:	____________	स्व–सत्यापित अपना हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाएं
3.	पिता का नाम	:	____________	
4.	स्थायी पता	:	------------------------------ ------------------------------	
5.	वर्तमान आवासीय पता	:	____________	
6.	राज्य का नाम जिससे मूल रूप से संबंधित हैं	:	____________	
7.	लिंग (पुरूष / महिला)	:	____________	
8.	धर्म	:	____________	
9.	जन्म तिथि	:	____________	
10.	अंतिम तिथि को आयु	:	______ वर्ष ___महीना _ दिन	
11.	शैक्षिक योग्यता	:	____________	
12.	शारीरिक मानक	:	क. उंचाई...............सेमी, ख. छाती......................सेमी (सामान्य)..............................सेमी (फुलाव) ग. वजन ....किग्रा	
13.	क्या सामान्य / ईडब्ल्यूएस / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अपिव से संबंधित है	:	____________	
14.	क्या पहाड़ी पुरूष / महिला से संबंधित हैं?	:	____________	
15.	खेलों / स्पर्धाओं का नाम	:	____________	
16.	प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ खेलकूद की उपलब्धियां	:	1. .... 2. .... 3.	
17.	पोस्टल ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट		सं. .... दिनांक......................... राशि.........................	

घोषणा

मैं................................ ....एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस आवेदन पत्र में दिए गए सारे विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही हैं। यदि कोई सूचना झूठी अथवा असत्य पायी जाती है अथवा परीक्षा से पहले अथवा बाद में मेरी अपात्रता सामने आती है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और भर्ती के लिए मेरे दावे को समाप्त कर दिया जाएगा। मैं यह भी समझता हूँ कि यदि किसी चरण में चयन बोर्ड द्वारा मुझे परीक्षा में गलत साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है अथवा चयन प्रकिया के शिष्टाचार को अधिशासित करने वाले नियमों / विनियमों का उल्लंधन होता है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है अथवा चयन बोर्ड द्वारा अपने विवेक के आधार पर मुझे अनुतीर्ण घोषित किया जा सकता है। यदि मेरे चयन के पश्चात मेरे आव्देन पत्र में गलतियां पकड़ी जाती है तो मेरी सेवा समाप्त की जा सकती है।

स्थान :–......................................

दिनांक :–......................................

आवेदक का हस्ताक्षर

केवल अपिव अभ्यर्थियों द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली घोषणा

मैं. ....पुत्र/पुत्री श्री...ग्राम/शहर/नगर ....जिला.................................राज्य..घोषणा करता हूँ कि मैं .... समुदाय से संबंधित हूँ, जिसे कार्मिक और प्रशिक्षण कार्यालय विभाग के ज्ञापन संख्या 36012/22/93/एससीटी दिनांक 08.09.1993 में भाामिल आदेशों के अनुसार सेवा में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93--स्थापना (एससीटी) दिनांक 08.09.1993 और संशोधित भारत सरकार डीओपीटी का.ज्ञा.संख्या 36033/3/2004--स्थापना (आरईएस) दिनांक 09.03.2004 और का.ज्ञा. संख्या 36033/3/2004–स्थापना (आरईएस) दिनांक 14.10.2008 के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नही हूँ।

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

कम संख्या...जांच करने वाले अधिकारी का नाम...

पर्यवेक्षण/टिप्पणियां

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर
मोहर सहित

प्रवेश पत्र

(अलग कागज पर छापा जाये/टाईप किया जाये/लिखा जाये)
(अभ्यार्थी को इस प्रवेश पत्र को प्रस्तुत किये बिना भर्ती प्रकिया में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा)

अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए

पद और खेलकूद स्पर्धा/क्षेत्र का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया : **प्रधान आरक्षक/जीडी** ....

1.	नाम	:	____	स्व–सत्यापित अपना हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो लगाएं
2.	पिता का नाम	:	____	
3.	पत्र व्यवहार का पता	:	____	
4.	पहचान चिन्ह	:	____	
5.	जन्म तिथि	:	____	
6.	क्या सामान्य/ईडब्ल्यूएस/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित हैं?	:	____	
7.	क्या पहाड़ी या आदिवासी से संबंधित है	:	____	

नोट : अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ई.डब्ल्यू.एस/पहाडी/आदिवासी के मामले में आयु, **शैक्षणिक** अर्हता, जाति प्रमाण पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण पत्रों के साथ खेलकूद प्रमाण पत्र, तथा अन्य स्त्रोत साथ लेकर आएं।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा भरा जायेगा

अनुकमांक.____

1.	पद और खेलकूद स्पर्धा/क्षेत्र का नाम जिसके लिए आवेदन पत्र स्वीकार किया गया	:	____
2.	भर्ती केन्द्र का नाम व पूरा पता	:	____
3.	भर्ती की तारीख	:	____
4	भर्ती केन्द्र पर उपस्थित होने का समय	:	____ बजे

आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 3

सीआईएसएफ के कार्मिकों सहित सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. श्री / कुमारी / श्रीमती..केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के तहत ....के रैंक में एक स्थायी / अस्थायी पद धारक हैं।
2. उन्होंने ....को इस विभाग / अधिकारी के पास अपना आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
3. श्री / कुमारी / श्रीमती.......... ....को कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा यदि उनका चयन केऔसुब में हो जाता है।

स्थान :...

दिनांकः..

कार्यालय मुहर के साथ कार्यालय / विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर

नोट:– सरकारी सेवा में पहले से ही सेवारत अभ्यर्थियों को अपना आवेदन–पत्र उपरोक्त प्रमाण–पत्र के साथ उपयुक्त चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए।

परिशिष्ट –'क'

प्रपत्र–1

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद गतिविधियों में से किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)
..का राष्ट्रीय परिसंघ/राष्ट्रीय संघ

केन्द्र सरकार के तहत समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार के लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.................................. निवासी...(पूरा पता) देश का प्रतिनिधित्व .... से...तक संपन्न हुई ....प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में किया।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थान ....रहा।

प्रमाण पत्र को ....के राष्ट्रीय परिसंघ/राष्ट्रीय संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया गया है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर..

नाम...

पदनाम..

परिसंघ/राष्ट्रीय संघ का नाम...

पता..

मुहर..

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध रहेगा जब इसे राष्ट्रीय परिसंघ/राष्ट्रीय संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किया गया है।

परिशिष्ट –'ख'

प्रपत्र–2

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से एक में भारत में एक राष्ट्रीय स्पर्धाओं में एक राज्य का प्रतिनिधित्व करना)

....के खेल में राज्य संघ ....

केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' में रोजगार प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.. निवासी...(पूरा पता) राज्य का प्रतिनिधित्व .... से...तक संपन्न हुई ....प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में किया।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थान ....रहा।

प्रमाण पत्र को ....राज्य संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया गया है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर..

नाम...

पदनाम..

राज्य संघ का नाम...

पता..

मुहर..

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध रहेगा जब इसे राज्य संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किया गया है।

परिशिष्ट –'ग'

प्रपत्र–3

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक में एक विश्वविद्यालय को अन्तर–विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करना)

..विश्वविद्यालय

केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' में रोजगार प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.............................. निवासी..............................(पूरा पता) विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व .... से....................तक संपन्न हुई ....प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में खेल/प्रतियोगिता किया।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थान ....रहा।

प्रमाण पत्र को ....विश्वविद्यालय में खेल अध्यक्ष अथवा खेलों के समग्र प्रभारी के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया गया है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर..............................

नाम..............................

पदनाम..............................

विश्वविद्यालय का नाम..............................

पता..............................

मुहर..............................

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध रहेगा जब इसे विश्वविद्यालय के खेलों के समग्र प्रभार में डीन/निदेशक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किया गया है।

परिशिष्ट –'घ'

प्रपत्र–4

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय खेलों में राज्य विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व करना)

..............................राज्य के लोक अनुदेशक/शैक्षणिक निदेशालय

केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' सेवा में रोज़गार प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.............................. निवासी..............................(पूरा पता) ने .... से ....तक आयोजित स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेलों में.............................. प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में ....राज्य विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया।

उपरोक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थान ....रहा।

प्रमाण पत्र को ....लोक अनुदेशक/शिक्षा निदेशालय के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर..............................

नाम..............................

पदनाम..............................

पता..............................

मुहर..............................

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध रहेगा जब इसे राज्य के लोक अनुदेशक/शैक्षणिक निदेशालय में स्कूलों के लिए खेल/खेलकूद के समग्र प्रभार के निदेशक अथवा अपर/संयुक्त अथवा उप निदेशक द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

परिशिष्ट –'ड.'

प्रपत्र–5

(शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए शारीरिक दक्षता निष्पादन में पुरस्कार प्राप्त कार्मिकों के लिए)

भारत सरकार/शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय

केन्द्र सरकार के अधीन समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.. निवासी..(पूरा पता) राज्य स्तरीय स्कूल टीम का प्रतिनिधित्व .... से.......................................तक संपन्न हुई.. खेल स्पर्धा में किया।

प्रमाण पत्र को .... शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया गया है।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर...

नाम..

पदनाम...

पता...

मुहर..

टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध रहेगा जब इसे शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय में सचिव/महासचिव अथवा शारीरिक दक्षता का समग्र दायित्व संभाल रहे किसी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किया गया हो।

परिशिष्ट–च

कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी ....पुत्र/पुत्री, श्री ....गांव................... .... तहसील/तालुका..............................जिला...............................राज्य..........................के स्थायी निवासी है।

2. आगे यह प्रमाणित किया जाता है कि :-

- ❖ अभ्यर्थी गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा और आदिवासी की श्रेणी में आते है।
- ❖ उपर्युक्त पुरूष/महिला ....आदिवासी जाति से संबंध रखते है।

स्थान :...

दिनांक:.......................................

हस्ताक्षर ....

जिला मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

'जो लागू न हो उन्हें काट दें।'

परिशिष्ट ''छ''

प्रश्नावली-प्रपत्र

1.	क्या आपको कभी किसी न्यायलय या न्यायिक संस्थान द्वारा दोषी करार दिया गया है ?	हां/नहीं
2.	क्या आपके खिलाफ न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित है ?	हां/नहीं
3.	क्या आपके खिलाफ कभी कोई प्राथमिकी दर्ज की गई हे तथा आपके विरूद्ध मामला लंबित है ?	हां/नहीं
4.	क्या पूर्व में कभी आपके विरूद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज की गई थी ?	हां/नहीं
क)	यदि हां तो मामला संख्या और किस धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी ?	
ख)	जहां प्राथमिकी दर्ज की गई थी उस थाने का नाम ?	
ग)	क्या मामले पर आरोप पत्र जारी किया गया था अथवा एफ.आई.आर. में रखा गया ?	
घ)	यदि आरोप पत्र दिया गया था तो न्यायालय के निष्कर्ष क्या थे ?	
	1. दोषी	
	2. विमुक्त	
	3. समझोते के आधार पर	
	4. संयोजित	
	5. कोई अन्य तो उल्लेख करें	
5.	क्या आपको कभी केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया गया है ?	हां/नहीं
6.	क्या आपको परिवीक्षा के दौरान कभी सेवा से निष्कासित किया गया है ?	हां/नहीं

यदि उपरोक्त मे से किसी का भी जवाब हां है तो कृपया पूर्ण विवरण अलग पृष्ठ पर दें ।

वचनबद्धता

मै, ... घोषित करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे जानकारी और विश्वास से पूर्णतया सत्य है । मै यह समझता हूँ कि अगर उक्त सूचना मिथ्या या असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी को समाप्त किया जाए और इसके अलावा मेरे उपर विभागीय या न्यायिक प्रक्रिया की कार्रवाई भी की जा सकती है ।

आवेदक के हस्ताक्षर...

नाम...

पिता का नाम..................................

स्थान : ....

दिनांक : ....

पता...

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री श्री ....गॉव/नगर .... जो जिला/खंड.....................राज्य/ संघ शासित क्षेत्र ....जाति/जनजाति* से सम्बंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति* के रूप में निम्नानुसार की गई है ।

'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950@
'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950@
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951@
'संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र) आदेश, 1951 @
(जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति सूचियॉ (संशोधन आदेश) 1956 द्वारा यथा संशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966. हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोतर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति/जनजति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987)
'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@
'संवैधानिक (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश 1959 यथासंशोधित अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976@
'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962@
'संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
'संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
'संवैधानिक (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967@
'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
'संवैधानिक (गोवा दमन दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
'संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
'संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
'संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1990@
'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अध्यादेश, 1991@
'संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश दूसरा संशोधन अध्यादेश, 1991@
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002@
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002@
'संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन अधिनियम) 2002@

2. " एक राज्य/संध शासित प्रदेश/प्रशासन से दूसरे राज्य प्रवास कर गए अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों पर लागू।

यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती* .... के पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी* ....गांव/नगर*..............................जिला/खंड* ....राज्य/संधशासित क्षेत्र* ....जो ....जाति/जनजाति से संबंधित हैं जिसे राज्य/संधशासित क्षेत्र....................................में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है.. (निर्धारित जारी करने वाला प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्या .... दिनांक ....को जारी किया गया ।

#3 श्री/श्रीमती/कुमारी* .... और/अथवा/उसका' परिवार वास्तविक रूप से गांव/नगर .... जिला/खंड*.........................राज्य/संधशासित क्षेत्र* ....में साधारणतया रहते है ।

हस्ताक्षर............................
**पदनाम..........................
राज्य/संघीय क्षेत्र....................

स्थान ....
दिनांक ....

*जो लागू न हो वे शब्द काट दिये जाये।
@ कृप्या राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का संदर्भ दें ।
# उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो ।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्य रूप' से निवासकर्ता है का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है।

__अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अपिव का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची।__

1) जिला मेजिस्ट्रेट / अपर जिला मेजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / उप कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट / सब डिविजिनल मेजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त / तालुका मेजिस्ट्रेट / कार्यकारी मेजिस्ट्रेट (+प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट से पद में कम न हो)

2) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट / प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट

3) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो ।

4) उस क्षेत्र के सब डिवीजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और / अथवा उसके परिवार के सदस्य साधारणतः निवास करते है।

__टिप्पणी__ : तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति के आवेदक **केवल राजस्व खण्ड अधिकारी द्वारा** जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

परिशिष्ट–'म'

अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.. पुत्र / पुत्री*,श्री...गांव / नगर*......................................जिला / प्रभाग*................................ राज्य / संघ शासित क्षेत्र*..के ....समुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या ....दिनांक... .... के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री / श्रीमती / कुमारी..और / अथवा उनका / उनके परिवार .... राज्य / संध शासित राज्य क्षेत्र के जिला / मंडल.. में सामान्य रूप से रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 36012 / 22 / 93 ईएसटीटी (एससीटी) दिनांक 08.09.1993**, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

स्थान.................................... हस्ताक्षर....................................

दिनांक.................................... **पदनाम....................................

(कार्यालय की मोहर सहित)

*प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें उम्मीदवार की जाति का उल्लेख अति पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है।

**समय समय पर संशोधित।

टिप्पणी :– यहां "सामान्य शब्द" का प्रयोग उसी तरह से किए जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

———

परिशिष्ट–'अ'

....सरकार
(प्रमाण–पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और संपत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण पत्र सं... **दिनांक...**

..वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पुत्री/पत्नी.. . ग्राम/गली..पिन कोड..के स्थायी निवासी हैं, जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है क्योंकि उसके परिवार की कुल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष ....के लिए 8 लाख (आठ लाख मात्र) से कम है। उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :–

I. 5 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि
II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड

2. श्री/श्रीमती/कुमारी......................................जो..जाति से संबंधित हैं,जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का हस्ताक्षरित फोटो	हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर सहित........................ नाम... पदनाम..

*नोट : 1. आय सभी स्त्रोंतो को कवर करती है यानि वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

**नोट : 2. इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द मे वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके माता–पिता और भाई–बहन 18 वर्ष से कम आयु के साथ–साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट : 3. ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न शहरों/शहरों में "परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है।

नोट : 4. निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण–पत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा :–

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नही होना चाहिए।
(iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते है।

DAVP 19113/11/0004/1920